<u>न्यायालय :- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रूपवास, जिला भरतपुर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी	-	ऋषि गुप्ता, आर.जे.एस.
नि. फौजदारी प्रकरण संख्या	-	08/2026
सी.आई.एस. नंबर	-	1589/2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	-	406/2014, थाना रूदावल

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, रूपवास

---अभियोगी

बनाम

01. राकेश पुत्र बृजनन्दन, निवासी नगला खार, थाना रुदावल, जिला भरतपुर **(कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 20.07.2019)**

02. रीतेश पुत्र राकेश, निवासी नगला खार, थाना रुदावल, जिला भरतपुर

---अभियुक्तगण

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325/34 भा.दं.सं.</u>

<u>उपस्थित</u> :-

01. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

02. श्री संतोष कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त रीतेश की ओर से।

अपराध की तिथि	05.08.2014	साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	27.11.2017
एफआईआर की तिथि	15.11.2014	निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	02.04.2026
अंतिम प्रतिवेदन पेश करने की तिथि	12.03.2015	निर्णय की तिथि	02.04.2026

आरोप विरचित की तिथि	06.10.2015	सजा की तिथि, अगर हो तो	02.04.2026

-- निर्णय-- **दिनांक :- 02.04.2026**

1. अभियुक्त राकेश की मृत्यु विचारण के दौरान हो जाने से प्रकरण में उसके विरुद्ध दिनांक 20.07.2019 को कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है। अतः उक्त निर्णय केवल मात्र अभियुक्त रीतेश की हद तक पारित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जसवंत के द्वारा एक इस्तगासा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष इस आशय का पेश किया कि दिनांक 05.08.2014 को सायं करीब 5.00-5.30 बजे अभियोगी पडोसी की दुकान के पास से अपने घर जा रही नाली से पत्थर हटा रहा था तो अभियुक्त रीतेश से उसकी कहासुनी हो गई। इस कहा सुनी की वजह से रीतेश ने राकेश व अजय को बुला लिया तथा इन सभी के हाथों में लाठी, डंडा, फरसा व बल्लम थे। इन सभी ने अभियोगी की मारपीट की व जातिसूचक नट, बेडिया, कंजर गालियां दीं व अजय ने अभियोगी के लाठी मारी, जिससे अभियोगी के सीधे हाथ की अंगुली टूट गई व अन्य अभियुक्तगण ने अभियोगी की थाप थप्पडों व लात घूसों से मारपीट की। अभियोगी ने दुहाई-तिहाई मचाई तो अभियोगी की पत्नी कमलेश, नवलकिशोर व दिनेश ने बचाया..... इत्यादि। उक्त इस्तगासे को न्यायालय द्वारा धारा 156(3) सीआरपीसी में वास्ते अनुसंधान थानाधिकारी, पुलिस थाना रुदावल को प्रेषित किया गया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना रुदावल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 406/2014 अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325 आईपीसी पुलिस थाना रुदावल में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325/34 आईपीसी में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध पर प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325/34 आईपीसी का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में निम्न गवाहान को परिक्षित करवाया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया :-

अभियोजन साक्षीगण

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का विवरण
01.	कमलेश	चक्षुदर्शी साक्षी
02.	दिलीप सिंह	नक्शा मौका
03.	जसवंत	परिवादी/मजरूब
04.	मुरारी	नक्शा मौका
05.	किशन	चक्षुदर्शी साक्षी
06.	नवलकिशोर	चक्षुदर्शी साक्षी
07.	चमनप्रकाश	161 सीआरपीसी के बयान
07.	कैलाराम	चक्षुदर्शी साक्षी
08.	डॉ. रूपेन्द्र झा	चिकित्सकीय साक्षी
09.	डॉ. चरण सिंह	चिकित्सकीय साक्षी
10.	रमेश कुमार	चार्जशीट पेश करने का गवाह
11.	उमेश	161 सीआरपीसी के बयान
12.	रमेश	161 सीआरपीसी के बयान
13.	चेतराम	अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात सूची

प्रदर्श संख्या	दस्तावेज का विवरण	साक्षी द्वारा सिद्ध
पी 01.	नक्शा मौका	पीडब्ल्यू 01, 03, 04, 13

पी 02.	इस्तगासा	पीडब्ल्यू 03
पी 03.	एमएलआर जसवंत	पीडब्ल्यू 03, 09
पी 04.	पुलिस बयान किशन	पीडब्ल्यू 05
पी 05	पुलिस बयान चमनप्रकाश	पीडब्ल्यू 07
पी 06	पुलिस बयान कैलाराम	पीडब्ल्यू 07
पी 07	एक्सरे रिपोर्ट जसवंत	पीडब्ल्यू 08
पी 08	एक्सरे प्लेट जसवंत	पीडब्ल्यू 08
पी 09	पुलिस बयान उमेश	पीडब्ल्यू 09
पी 10	पुलिस बयान रमेश	पीडब्ल्यू 10

5. अभियुक्त रीतेश के विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अवगत कराते हुए उसके बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किए जाने पर गवाहान के कथनों को गलत होना जाहिर करते हुए साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना जाहिर किया। अभियुक्त रीतेश के द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा में निम्न गवाहों का परिक्षित करवाया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेजों को पेश कर प्रदर्शित करवाया :-

अभियुक्त साक्षी

क्रम संख्या	साक्षी का नाम	साक्षी का विवरण
01.	रीतेश कुमार	अभियुक्त

अभियुक्त की ओर से प्रदर्शित दस्तावेजात सूची

प्रदर्श संख्या	दस्तावेज का विवरण	साक्षी द्वारा सिद्ध
पी 04	मजहरनामा दिनांकित	डीडब्ल्यू 01

	04.08.2014	
पी 05 लगायत पी 08	सरकार बनाम प्रताप वगैरह की नकलें	डीडब्ल्यू 01

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होता है इसलिए अभियुक्त को आरोपित अपराध में अधिक से अधिक सजा से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

7. जबकि इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि परिवादी के साथ अभियुक्त के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई, बल्कि परिवादी के द्वारा अभियुक्त के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें परिवादी को धारा 151 सीआरपीसी के तहत निरुद्ध भी किया गया था। अंत में अभियुक्त को आरोपित अपराध के तहत दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

8. प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय को निम्न बिन्दुओं पर विचार करना हैः-

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 05-08-2014 को सायं करीब 05.00-05.30 बजे या उसके लगभग गांव नगला खार में रास्ता आम पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अनुसरण में मुस्तगीस/मजरूब जसवंत को निश्चित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण व गंभीर उपहति कारित की ?

2- यदि हॉ तो अभियुक्त को किस सजा से दंडित किया जावे?

9. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारणीय बिंदु के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

10. हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी जसवंत द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र प्रदर्श पी 02 से हुआ है। जिसमें उसके द्वारा दिनांक 05-08-

2014 को शाम 05.00-05.30 बजे नाली से पत्थर उठाने को लेकर अभियुक्तगण से कहा सुनी होने व अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किए जाने और अभियोगी का अस्थि भंग होने का कथन किया। इसके संबंध में सर्वप्रथम परिवादी जसवंत पीडब्ल्यू 03 के बयानों का अवलोकन किया गया, जो कि अपने मुख्य परीक्षण में तीन वर्ष पूर्व अगस्त के महीने में समय 05.00-05.30 बजे की बात बताते हुए कथन करता है कि उस दिन बारिश काफी तेज हो रही थी। मनोज की दुकान से नाली बंद हो रही थी, क्योंकि उसमें अभियुक्तगण के द्वारा पत्थर डाल दिए गए थे, जिससे उसके घर में पानी भर गया था। जब वह पत्थर हटाने लगा तो मौके पर अभियुक्तगण आ गए और उसे पत्थर हटाने से मना किया, जिस पर कहा सुनी हो गई और उन्होंने अजय को भी मौके से बुला लिया। अजय मौके पर लाठी लेकर आ गया। उक्त तीनों ने उसके साथ मारपीट की। रीतेश ने उसके अंगुली पर लाठी से चोट मारी। इस प्रकार परिवादी अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 का पूर्णतः समर्थन करता है व नाली पर पत्थर हटाने के ऊपर दोनों पक्षों में विवाद होने व मारपीट किए जाने का कथन करता है। जिरह में गवाह प्रदर्श पी 02 का सी से डी भाग, जिसमें अजय के द्वारा चोट मारना अंकित है, के संबंध में कथन करता है कि वह पढा-लिखा नहीं है। इस्तगासा लिखने वाले ने यह बात अपने आप जोड दी हो तो वह नहीं कह सकता। उसके साथ मारपीट लाठी व डंडे दोनों से की गई थी। पुलिस ने सिर्फ डंडा गलत लिखा है। मुलजिमान ने अपने घर के आगे पत्थर नहीं लगाए थे। उसके 4-5 चोट आई थी। सभी चोटों का उसने डाक्टर को बता दिया था। पुलिस ने नक्शा प्रदर्श पी 01 उसके सामने नहीं बनाया था। पुलिस ने नक्शा बनाने के बाद जब पुलिस जाने वाली थी तब वह आ गया था तब करवाए थे।

11. इसके पश्चात् प्रदर्श पी 02 के अनुसार मौके पर उपस्थित परिवादी की पत्नी कमलेश पीडब्ल्यू 01 के बयानों का अवलोकन किया गया, जो कि अपने मुख्य परीक्षण में सात वर्ष पूर्व की घटना बताती है। जबकि घटना सन् 2014 की है, जिस पर न्यायालय का मत है कि अन्य सभी गवाहों ने घटना की दिनांक सन् 2014 ही बताई है। ऐसे में मात्र एक गवाह के कह देने से कि घटना साल वर्ष पूर्व की है, घटना गलत नहीं हो जाती। अपने मुख्य परीक्षण में गवाह अभियुक्तगण के द्वारा उसके पति जसवंत के साथ मारपीट किए जाने और अंगुलियां टूट जाने का कथन करती है। जिरह में भी गवाह रीतेश के द्वारा लाठी मारने का कथन करती है। इस प्रकार उक्त

गवाह के बयान तहरीरी रिपोर्ट व पीडब्ल्यू 03 के बयानों की पूर्णतः ताईद करते हैं।

12. गवाह पीडब्ल्यू 02 दिलीप सिंह के बयानों का अवलोकन किया गया, जो कि अपने मुख्य परीक्षण में नक्शा मौका उसके सामने बनाया जाने का कथन करते हुए जिरह में कथन करता है कि पुलिस ने नक्शे में क्या लिखा था, उसे नहीं पता। नक्शे में झगडे वाला स्थान कौनसा दिखाया है, उसे नहीं पता। नाली वहां पर बनी थी या नहीं, उसने नहीं देखी। नाली खंडा पत्थर से अवरुद्ध हो तो उसने नहीं देखी। गवाह पीडब्ल्यू 04 मुरारी के बयानों का अवलोकन किया गया, जो कि अपने मुख्य परीक्षण में करीब आठ साल पहले की बात होना, तारीख उसे याद नहीं होना तथा नक्शा मौका घटना स्थल पर बनाया जाना, जिस पर उसे ई से एफ हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए जिरह में कथन करता है कि नक्शा मौके पर मार्ग ए, बी, सी, डी में क्या बनाया है, उसकी जानकारी में नहीं है।

13. गवाह पीडब्ल्यू 07 चमनप्रकाश के बयानों का अवलोकन किया गया, जो कि अपने मुख्य परीक्षण में जसवंत के साथ मारपीट के बारे में कोई जानकारी नहीं होने का कथन करता है। अभियोजन द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। जिरह में गवाह कथन करता है कि पुलिस द्वारा उससे मारपीट बाबत् कोई पूछताछ नहीं की गई।

14. गवाह पीडब्ल्यू 10 रमेश कुमार के बयानों का अवलोकन किया गया, जो कि अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 15-11-2014 को थानाधिकारी के पद पर थाना रुदावल में कार्यरत होना व उस दिन मुकदमा संख्या 406/2014 की मूल पत्रावली बाद अनुसंधान व आदेश के उसे प्राप्त होना, जिस पर चार्जशीट नंबर 243/2014 दिनांक 20-12-2015 धारा 323, 341, 325 आईपीसी में मुलजिम रीतेश व राकेश के विरुद्ध न्यायालय में पेश किये जाने का कथन करते हुए जिरह में कथन करता है कि चार्जशीट पेश करने से पहले पत्रावली में एसपी साहब से आदेश प्राप्त किए गए थे। पढने की पत्रावली की आवश्यकता नहीं थी। उसे जानकारी नहीं है कि जिस अभियुक्त के द्वारा सीधे हाथ की अंगुली में परिवादी द्वारा अपने हाथ में चोट मारना बताया है, उसके विरुद्ध यह चार्जशीट पेश नहीं की गई है।

15. गवाह पीडब्ल्यू 11 उमेश व पीडब्ल्यू 12 रमेश के बयानों का अवलोकन किया गया, जो कि अपने मुख्य परीक्षण में तारीख याद नहीं होना, व किसी प्रकार का झगडा नहीं होने का कथन करते हैं। अभियोजन द्वारा

दोनों गवाहों को पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। जिरह में गवाह कथन करता है कि पुलिस द्वारा उससे मारपीट बाबत् कोई पूछताछ नहीं की गई।

16. इसके पश्चात् गवाह पीडब्ल्यू 06 नवलकशोर के बयानों का अवलोकन किया गया, जो कि प्रदर्श पी 02 के अनुसार मौके का गवाह है। उक्त गवाह भी अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट की पूर्णतः ताईद करता है। जिरह में गवाह की साक्ष्य अखण्डित रही है। अभियुक्त पक्ष के गवाह को यह सुझाव जरुर दिया गया है कि वह मौके पर उपस्थित नहीं था, बल्कि मुम्बई था। परंतु अभियुक्त पक्ष द्वारा इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिससे यह दर्शित हो कि गवाह मौके पर उपस्थित नहीं था। ऐसे में उक्त गवाह के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता है।

17. इसके पश्चात् पीडब्ल्यू 05 किशन, जिसे न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया है, के बयानों का अवलोकन किया गया। उक्त गवाह अपने बयानों में तीन वर्ष पूर्व बरसात के समय घटना होना स्वीकार करता है, परंतु परिवादी के द्वारा अभियुक्तगण की मारपीट किए जाने का कथन करता है। इस प्रकार उपरोक्त गवाह यह तो स्वीकार करता है कि दोनों पक्षों के मध्य कोई न कोई घटना तो कारित की गई थी। गवाह पीडब्ल्यू 07 कैलाराम के बयानों का अवलोकन किया गया, जो कि अपने मुख्य परीक्षण में करीब पांच साल पहले नाली में पत्थर गिरने की वजह से जसवंत द्वारा रीतेश व राकेश के साथ गाली गलौच कर झगडा किया जाना व उसके द्वारा बीच बचाव किए जाने का कथन करता है। अभियोजन द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है। जिरह में गवाह यह स्वीकार करता है कि वह घटना के वक्त शुरू से अंत तक मौके पर मौजूद था। गवाह यह स्वीकार करता है कि जसवंत की नाली में पत्थर रीतेश व राकेश ने नहीं गिराए थे। जसवंत रीतेश व लोकेश से कह रहा था कि तुमने पत्थर क्यों डाले। इस प्रकार पीडब्ल्यू 07 कैलाराम भी मौके पर नाली में पत्थर के ऊपर परिवादी व अभियुक्तगण के मध्य गाली गलौच व झगडा करने का कथन करता है। इस प्रकार उपरोक्त गवाह भी पीडब्ल्यू 05 की तरह ही मौके पर पक्षकारों के मध्य नाली में पत्थर के ऊपर वाद विवाद होने के तथ्य की ताईद करते हैं।

18. जहां तक परिवादी के शरीर पर आई चोटों का प्रश्न है तो परिवादी का मैडिकल प्रदर्श पी 03 का अवलोकन किया गया, जिसे सिद्ध करने के लिए डॉक्टर चरण सिंह पीडब्ल्यू 09 को परीक्षित कराया गया, जो कि मजरूब जसवंत के प्रदर्श पी 03 पर कुंद हथियार से चोट आने के तथ्य की ताईद करता है। उक्त चोट पर एक्सरे करवाने की राय दी गई थी। मजरूब

का एक्सरे प्रदर्श पी 08 व एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 है, जिसे सिद्ध करने के लिए डॉ. रूपेन्द्र झा को पीडब्ल्यू 08 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कि अभियुक्त के सीधे हाथ की लिटल फिंगर में फ्रैक्चर आने की ताईद करता है।

19. पीडब्ल्यू 13 चेतराम प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो कि अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान के दौरान नक्शा मौका बनाने व गवाहों के बयान लिए जाने का कथन करता है। गवाह इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर करता है कि झगडे वाले दिन रीतेश, सुभाष, हरिओम और जसवंत को पुलिस ने धारा 151 सीआरपीसी में बंद किया हो। गवाह इस तथ्य को सही बताता है कि जो इस्तगासा एसडीएम साहब के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसमें जसवंत के कोई चोट नहीं थी।

20. अभियुक्त पक्ष ने साक्ष्य सफाई में डीडब्ल्यू 01 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया है, जिसमें उसके द्वारा गांव वालों द्वारा प्रस्तुत मजहरनामा प्रदर्श डी 04 व धारा 151 सीआरपीसी की कार्यवाही व उसके बयानों को प्रदर्श डी 05 लगायत डी 08 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य नाली को लेकर विवाद था, जिसमें परिवादी को धारा 151 सीआरपीसी में हवालात में बंद भी किया गया था। ऐसे में उक्त दस्तावेज परिवादी की कहानी के समर्थन करते हैं कि दिनांक 05-08-2014 को दोनों पक्षों के मध्य नाली को लेकर मारपीट हुई थी।

21. अभियुक्त पक्ष द्वारा परिवादी पीडब्ल्यू 03 के बयानों के संदर्भ में यह कथन किया है कि परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में अंगुली की चोट अजय के द्वारा कारित करना लिखाया है, जबकि अपने बयानों में सभी गवाह अंगुली की चोट रीतेश के द्वारा कारित करने का कथन करते हैं। इस पर न्यायालय का मत यह है कि एफआईआर घटना का एनसाइक्लोपीडिया नहीं होता है। परिवादी ने अपने परिवाद में सभी के द्वारा लाठी डंडे से मारपीट किए जाने का कथन किया है, जिसकी ताईद सभी गवाहों ने अपने बयानों में करते हुए रीतेश के द्वारा लाठी मारे जाने से अंगुली पर चोट आने का कथन किया है। ऐसे में जब सभी गवाहों और चिकित्सकीय साक्षी से अभियुक्त रीतेश के द्वारा मारी गई लाठी से परिवादी के अंगुली में चोट आना स्पष्ट है तो सिर्फ परिवाद पत्र में अजय का नाम लिख देने मात्र के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त चोट अभियुक्त रीतेश ने कारित नहीं की हो। अभियुक्त अधिवक्ता का एक अन्य तर्क यह भी रहा है कि नक्शा मौका के दोनों गवाह पीडब्ल्यू 02 व 04 नक्शे में दर्शित आलामात से अनभिज्ञता

जताते हैं। परंतु न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण में घटना का स्थल विवादित नहीं है, क्योंकि अन्य गवाहों ने दोनों पक्षकारों के मध्य मनोज की दुकान के पास पत्थर डालने से नाली के बहाव अवरुद्ध होने पर विवाद होने का एकरूपता से कथन किया है। ऐसे में मात्र नक्शे के गवाहों का नक्शे का समर्थन नहीं करना घटना को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।

22. जहां तक गवाह संख्या 11 व 12 के पक्षद्रोही हो जाने का प्रश्न है तो यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में वर्णित सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्षियों की विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। अगर किसी तथ्य को किसी एक गवाह द्वारा भी न्यायालय की संतुष्टि तक सिद्ध कर दिया गया है तो इस बात का औचित्य नहीं है कि कुछ गवाहान पक्षद्रोही घोषित हो गए हैं। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों ने अभियोजन कहानी की पूर्ण रूप से ताईद की है। ऐसे में यदि कुछ गवाह पक्षद्रोही घोषित भी कर दिए गए हैं तो भी प्रकरण संदिग्ध नहीं हो जाता।

23. इस प्रकार सभी गवाहों ने एकरूपता से दिनांक 05-08-2014 को दोनों पक्षों के मध्य नाली को लेकर कहा सुनी होने और अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी के साथ मारपीट किए जाने के तथ्य की एकरूपता से ताईद की है। जहां तक अभियुक्तगण का यह कथन है कि मारपीट जसवंत के द्वारा अभियुक्तगण से की गई थी तो उस पर न्यायालय का मत है कि अगर परिवादी ने अभियुक्तगण से मारपीट की थी तो उनके द्वारा कोई एफआईआर परिवादी के विरुद्ध क्यों नहीं की गई। यहां यह भी विश्वास किए जाने योग्य नहीं है कि तीन व्यक्तियों की मारपीट एक व्यक्ति के द्वारा कर दी गई हो। इस प्रकार सभी गवाहों के बयान अखण्डनीय रहे हैं। अभियुक्तगण अभियोजन कहानी पर तात्विक विरोधाभास दर्शित कर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करने में असफल रहे हैं।

24. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि **अभियुक्त द्वारा दिनांक 05-08-2014 को सायं करीब 05.00-05.30 बजे या उसके लगभग गांव नगला खार में रास्ता आम पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय के अनुसरण में मुस्तगीस/मजरूब जसवंत को निश्चित दिशा में जाने से रोककर उसका सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छा साधारण व गंभीर उपहति कारित की।**

अतः अभियुक्त रीतेश को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325/34 भा0 दं0 सं0 में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: <u>आदेश</u> :-

25. परिणामतः अभियुक्त **रीतेश पुत्र राकेश, निवासी नगला खार, थाना रुदावल, जिला भरतपुर** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा **323, 341, 325/34 भा0 दं0 सं0** में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(ऋषि गुप्ता)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
रूपवास, जिला भरतपुर

<u>- सजा के प्रश्न पर सुना गया -</u>

26. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कथन किया कि अभियुक्त काफी लम्बे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा है। उसे कारावास से दण्डित किए जाने पर उसके परिवार पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अंत में अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

27. इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त को तुंरत कारावास से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

28. उभयपक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया है। प्रकरण वर्ष 2014 से लंबित है। जिसमें अभियुक्त पिछले 10 सालों से सजा भुगत रहा है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को कारावास की सजा से दण्डित न किया जाकर धारा 04 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-: <u>दण्डादेश</u> :-

29. अतः अभियुक्त **रीतेश पुत्र राकेश, निवासी नगला खार, थाना रुदावल, जिला भरतपुर** को धारा **323, 341, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता** के दोषसिद्ध अपराध के लिए एतद्वारा **परिवीक्षा अधिनियम की धारा 04** का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **धारा 04 परिवीक्षा अधिनियम** के तहत **6 माह** की अवधि के लिए **20,000/- रुपए** का **स्वयं**

का बंध पत्र तथा इसी राशि की एक मौतबिर जमानत न्यायालय संतुष्टि की इस आशय की प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे कि वह अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, इस अवधि में शांति व सदाचार बनाए रखेगा तथा न्यायालय की शर्तों की अवहेलना करने पर सवेच्छा सजा भुगतने को हाजिर होगा तो अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोडा जावे। साथ ही **धारा 05 परिवीक्षा अधिनियम** के तहत अभियुक्त पर **10,000/- रुपए अभियोजन व्यय** की राशि अधिरोपित की जाती है।

अभियुक्त द्वारा अभियोजन व्यय की राशि जमा कराने अथवा वसूल होने की स्थिति में बाद गुजरने मियाद अपील एवं रिवीजन, सम्पूर्ण अभियोजन व्यय की राशि परिवादी जसवंत को दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

30. अभियुक्त के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त के प्रस्तुतशुदा 437ए सी आर पी सी के मुचलके नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।

(ऋषि गुप्ता)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
रूपवास, जिला भरतपुर

31. यह निर्णय आज दिनांक 02-04-2026 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(ऋषि गुप्ता)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
रूपवास, जिला भरतपुर